आवश्यक
पंचायत आम/उप चुनाव

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या- पं0नि0 30-37/2025 - 2686

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ।

पटना, दिनांक - 12.06.25

विषय : त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम/उप निर्वाचन के निमित्त निर्वाचन संचालन से संबंधित दिशा-निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य पदों के लिए आम निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में ही पंचायत आम/उप निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, यथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना, संवीक्षा, अभ्यर्थिता की वापसी आदि को पूरा किया जायेगा तथा कराया जायेगा।

पंचायत आम/उप निर्वाचन के संचालन हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर राज्य निर्वाचन आयोग का निम्न निदेश निर्गत किया जा रहा है जिसके आलोक में कृपया समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

3. निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का निर्धारण :

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र-5 में नाम निर्देशन आदि से सम्बन्धित सूचना संबंधित जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

(ii) घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र-5 में नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तिथि, समय तथा स्थान, नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तिथि, समय तथा स्थान, अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख, मतदान, यदि आवश्यक हो, की तारीख एवं समय और मतगणना के लिए तारीख, समय और स्थान का उल्लेख करते हुए सूचना प्रकाशित की जायेगी। सूचनाएं बिल्कुल स्पष्ट हों ताकि सर्वसाधारण को इसकी जानकारी मिल सके तथा किसी स्तर पर भ्रम की स्थिति नहीं रहे।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

ज्ञातव्य है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 के प्रावधानों के अन्तर्गत नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से सातवाँ दिन होगा, अथवा यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए नियत तारीख नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख के बाद तीन दिनों से अधिक नही होगा, परन्तु संवीक्षा की तिथि एक या एक से अधिक लगातार तिथियों को निर्धारित की जा सकेगी तथा यदि संवीक्षा की अन्तिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो संवीक्षा की अन्तिम तिथि आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख के बाद अधिकतम दो दिनों तक होगा, या यदि वापसी का अन्तिम दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

(iv) उपर्युक्त सूचनाओं के साथ प्रपत्र-5 की एक प्रति सम्बन्धित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी।

(v) नाम निर्देशन करने तथा नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए एवं अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने हेतु ***11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक*** *का समय निर्धारित किया जाता है। मतदान का समय* ***सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक*** *होगा। मतगणना* ***सुबह 8 बजे से*** *प्रारम्भ होगी। तदनुसार प्रपत्र-5 में विभिन्न कार्यक्रम से सम्बन्धित समय का उल्लेख किया जायेगा।*

4. निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी –

आयोग के पत्रांक 1551 दिनांक 19.12.2020 से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (3) के तहत सभी पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) एवं 125 (4) के तहत सभी पदों के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त करने हेतु आयोग द्वारा आपको प्राधिकृत किया गया है। निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त कर सकते हैं।

स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/ग्राम कचहरी के पदों पर निर्वाचन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/उप समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जायेंगे तथा जिला परिषद् सदस्य पद के निर्वाचन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र-5 में अंकित किया जायेगा।

5. (1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता (Qualification of Candidates) –

(क)(i) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 135 के अनुसार, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया हो, उसे पंचायत के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त होगी।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर सम्बन्धित मतदाता उक्त ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य अथवा पंच का उम्मीदवार हो सकता है;

प्रखंड/पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता उस प्रखंड अन्तर्गत किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच/पंचायत समिति के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद का उम्मीदवार हो सकता है; एवं

जिला के लिए गठित मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता जिला परिषद के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद का उम्मीदवार हो सकता है।

परन्तु यदि निर्वाचन के उपरान्त मतदाता घोषणा पत्र में अंकित हलफनामा गलत पाया गया और अकाट्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि किसी दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (पंचायत/नगरपालिका) में पूर्व से दर्ज नाम को जानबूझकर छिपाया गया है अथवा उसे विलोपित करने हेतु आवेदन संवीक्षा के पूर्व विहित प्रपत्र में नियमानुसार नहीं दिया गया है, तो एक ही समय में एक साथ दो स्थानों पर अर्हता के सह-अस्तित्व के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 135 के तहत अर्जित अर्हता शून्य समझी जाएगी एवं मतदाता होने की अर्हता से संबंधित दावा मान्य नहीं होगा।

(क)(ii) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 135 का परन्तुक ''परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के सदस्य या महिला न हो, तो उसे ऐसे स्थानों के लिये निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त नहीं होगी।''

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आरक्षित स्थानों पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्र, प्रारूप एवं दिशा-निर्देश के अधीन त्रुटिहीन जाति प्रमाण-पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्थात् जाति प्रमाण-पत्र पिता के निवास स्थान से पिता के जाति के आधार पर निर्गत होना अनिवार्य रहेगा। यदि भूलवश या जानबूझकर पैतृक निवास स्थल से अलग यथा- पति के निवास स्थल या अन्य स्थल या पति के जाति के अनुसार निर्गत कराकर संलग्न किया जायेगा तो ऐसे जाति प्रमाण-पत्र को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु वैध जाति प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा तथा संवीक्षा की तिथि को ऐसे अभ्यर्थियों की वैधानिक स्थिति अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान मानी जायेगी तथा उनका कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी पंचायत समिति/प्रखंड के मतदाता जो उस पंचायत समिति/प्रखंड के वैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र के मुखिया/सरपंच पद से निर्वाचित होते हैं जिस ग्राम पंचायत के वे मतदाता नहीं हैं, के संबंध में सूचित करना है कि उनका निर्वाचन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 13814/2009 (सुरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश के अध्यधीन होगा। स्पष्ट किया जाता है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 135 की निर्हरता पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम की धारा 136 (2) के प्रावधानों के तहत विचार कर सकते हैं। अतः ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर के मतदाता जो मुखिया/सरपंच पद का अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, को उक्त तथ्यों से अवगत करा दें।

(ग) एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, परन्तु उन्हें अलग-अलग पद के लिए पृथक नाम निर्देशन पत्र देना होगा और उसका अनुमान्य शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा।

(घ) सेवानिवृत सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्त्ता (Commissioned Agent), अकार्यरत गृहरक्षक [जिला समादेष्टा द्वारा निर्गत गृहरक्षक (होमगार्ड) कार्य प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित होगा कि गृरक्षक (होमगार्ड) कार्यरत हैं या अकार्यरत]

पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता (ए.जी.पी.) एवं अपर लोक अभियोजक (एडिशनल पी.पी.) जो केवल शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं, पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते है।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अनर्हता (Disqualification of Candidates) –

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, पंचायत के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता होने के संबंध में उपर उल्लेख किया जा चुका है। साथ ही साथ अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति अगर अयोग्य नहीं घोषित किये गये हों, तो वे पंचायत के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के योग्य समझे जायेंगे। किन-किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति निर्वाचित होने तथा पंचायत के सदस्य/पदधारी होने के अयोग्य होगा, उनका उल्लेख अधिनियम की धारा 136 में किया गया है। सहज प्रसंग के लिए धारा-136 (1) का अंश उद्धृत किया जाता है-

``(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह व्यक्ति –

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है; यानी पंचायत/ग्राम कचहरी के किसी पद का प्रत्याशी होने के लिये उसे इक्कीस वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिये।

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो;

(घ) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो;

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णित हुआ हो;

(च) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत कर दिया गया हो और किसी लोक-सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया गया हो,

(छ) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड पा चुका हो अथवा कदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और आदेश बाद में उल्टा न हो गया हो;

(ज) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो;

(झ) पंचायत के अन्तर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो;

(ञ) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो;

परन्तु यह कि भ्रष्ट आचरण का दोषी पाये जाने पर सामान्य निर्वाचन के छः वर्षो के बाद उसकी निरर्हता न रह जायेगी।

उपर्युक्त धारा की कंडिका-(ग), कंडिका (घ) एवं कंडिका-(झ) के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित श्रेणी के व्यक्ति भी पंचायत निकायों /ग्राम कचहरी के पदों के लिए निर्वाचन नहीं लड़ सकते है-

(1) आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका; जीविका मिशन के पद (जिस अवधि तक मानदेय/नियमित भुगतेय राशि में राज्य सरकार से प्राप्त सहायता राशि का अंश शामिल हो)।

(2) विशेष शिक्षा परियोजना /साक्षरता अभियान/ विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक;

(3) पंचायत के अधीन मानदेय/अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र/न्याय मित्र/विकास मित्र टोला सेवक या अन्य कर्मी ;

(4) पंचायत के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति;

(5) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक /गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/पदस्थापित /प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/शिक्षक/प्रोफेसर/शिक्षकेतर कर्मचारी /रसोईया /मानदेय पर कार्यरत कर्मी आदि;

(6) कार्यरत गृहरक्षक (होमगार्ड);

(7) सरकारी वकील (जी.पी.)/लोक अभियोजक (पी.पी.)/सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क (Retainer) पर नियुक्त किये जाते हैं। सहायक लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक हैं अतः वे भी पंचायत के पदों के अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं।

(8) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के तहत् निहित शक्तियों के दुरुपयोग एवं अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार के आरोप में पदच्यूत किये गये ग्राम पंचायत मुखिया तथा धारा 97 (5) के तहत पदच्यूत किये गये ग्राम कचहरी के सरपंच एवं उप सरपंच निर्वाचन लड़ने के पात्र नहीं होंगे। यह पदच्यूत किये जाने की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक लागू रहेगा।

(9) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 134 के तहत् निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हित निर्वाचन लड़ने के पात्र नहीं होंगे। यह अनर्हता आदेश की तिथि से अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगा।

(10) नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि के अगले दिन संवीक्षा की पहली तिथि को उम्र 21 वर्ष पूरा नहीं हो रहा हो।

(11) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में रहने वाला व्यक्ति का नाम निदेशन पत्र भरे जाने की तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत नहीं होना। तात्पर्य यह है कि नाम निर्देश भरे जाने के पूर्व विधिवत त्याग-पत्र स्वीकृत होना चाहिए।

अगर उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करते है तो दृष्टि में आने पर संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

6. (1) प्रस्तावक के लिए अर्हता (Qualification of Proposer) –

कोई व्यक्ति, जिसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है और जो अधिनियम की धारा 136 की उप-धारा (1) के अध्यधीन अनर्हित नहीं है, वैसे व्यक्ति ही किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाये कि एक पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 20 है तो अन्यथा योग्य होने पर इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 का मतदाता इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 का अभ्यर्थी हो सकता है किन्तु इसका प्रस्तावक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 का ही योग्य मतदाता हो सकेगा, किसी अन्य का नहीं।

सेवानिवृत सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्त्ता (Commissioned Agent), अकार्यरत गृहरक्षक *[जिला समादेष्टा द्वारा निर्गत गृहरक्षक (होमगार्ड) कार्य प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित होगा कि गृरक्षक (होमगार्ड) कार्यरत हैं या अकार्यरत]* ***प्रस्तावक हो सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता (ए.जी.पी.) एवं अपर लोक अभियोजक (एडिशनल पी.पी.) जो केवल शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं, पंचायत निर्वाचन के लिए प्रस्तावक बन सकते हैं।***

(2) प्रस्तावक के लिए अनर्हता (Qualification of Proposer) –

अधिनियम की धारा 136 की उप-धारा (1) में उल्लिखित निरर्हता के अनुसार निम्न व्यक्ति प्रस्तावक नहीं हो सकेगा जो :-

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यानि 21 (इक्कीस) वर्ष से कम उम्र का मतदाता किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा;

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो;

(घ) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो;

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णित हुआ हो;

(च) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत कर दिया गया हो और किसी लोक-सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया गया हो,

(छ) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड पा चुका हो अथवा सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और आदेश बाद में उल्टा न हो गया हो;

(ज) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो;

(झ) पंचायत के अन्तर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो;

(ञ) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो;

परन्तु यह कि भ्रष्ट आचरण का दोषी पाये जाने पर सामान्य निर्वाचन के छः वर्षो के बाद उसकी निरर्हता न रह जायेगी।

उपर्युक्त धारा की कंडिका-(ग), कंडिका (घ) एवं कंडिका-(झ) के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित श्रेणी के व्यक्ति भी पंचायत निकायों /ग्राम कचहरी के पदों के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं –

(1) आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका; जीविका मिशन के पद (जिस अवधि तक मानदेय/ नियमित भुगतेय राशि में राज्य सरकार से प्राप्त सहायता राशि का अंश शामिल हो)।

(2) विशेष शिक्षा परियोजना /साक्षरता अभियान/ विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक;

(3) पंचायत के अधीन मानदेय/अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र/न्याय मित्र/विकास मित्र टोला सेवक या अन्य कर्मी ;

(4) पंचायत के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति;

(5) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक /गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/पदस्थापित / प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/शिक्षक/प्रोफेसर/शिक्षकेतर कर्मचारी /रसोईया/मानदेय पर कार्यरत कर्मी आदि;

(6) कार्यरत गृहरक्षक (होमगार्ड);

(7) सरकारी वकील (जी.पी.)/लोक अभियोजक (पी.पी.)/सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क (Retainer) पर नियुक्त किये जाते हैं। सहायक लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक हैं अतः ये भी प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं।

(8) नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि के अगले दिन संवीक्षा की पहली तिथि को उम्र 21 वर्ष पूरा नहीं हो रहा हो।

(9) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में रहने वाला व्यक्ति का नाम निदेशन पत्र भरे जाने की तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत नहीं होना। तात्पर्य यह है कि नाम निर्देश भरे जाने के पूर्व विधिवत त्याग-पत्र स्वीकृत होना चाहिए।

अगर उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्ति प्रस्तावक होते हैं तो संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा।

7. नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का स्थान –

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 का नियम-36 के तहत निर्गत प्रपत्र-5 में दिये गये स्थानों पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जायेंगे।

ग्राम कचहरी/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के निर्वाचन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का स्थान प्रखंड कार्यालय होगा, और जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित अनुमंडल कार्यालय होगा।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथियों को कार्यालय अवधि में निर्दिष्ट स्थान (कार्यालय कक्ष में) पर निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है।

8. नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करना –

(1) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 38(2) एवं 39(1) के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा प्रपत्र-6 में नाम-निर्देशन दाखिल किये जायेंगे। प्रपत्र-6 के साथ अनुसूची-I, अनुसूची-II (अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का शपथ-पत्र), अनुसूची-III [अनुसूची-III (क) एवं अनुसूची-III (ख) सहित] संलग्न किया जायेगा।

अनुसूची-III,(अनुसूची-III (क) एवं अनुसूची-III (ख) में अभ्यर्थी के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो तो, परिसम्पत्तियों/दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में शपथ-पत्र पर सूचनाएँ अंकित रहेंगी। (शैक्षणिक योग्यता के रूप में संवीक्षा की तिथि तक उच्चतम शैक्षणिक योग्यता तथा जन्मतिथि के रूप में मैट्रिक एवं समतुल्य परीक्षा में दर्ज जन्मतिथि अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही साथ परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्वों में पति-पत्नी एवं आश्रित संतानों के नाम दर्ज प्रत्येक सम्पत्ति का विवरण आवश्यक होगा।) (विस्तृत व्याख्या आयोग के पत्रांक 1380 दिनांक 03.05.2023 द्वारा पूर्व से प्रेषित है, पुनः संलग्न)

(2) नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते वक्त उम्मीदवार संलग्न प्रपत्र (अनुसूची - I) में इस आशय का एक शपथ-पत्र, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि धारा 136 के उपबन्धों की पूरी जानकारी उन्हें है और वे उक्त धारा के अधीन अयोग्य नहीं हैं, भी दाखिल करेगा।

(3) नाम निर्देशन पत्र **अभ्यर्थी द्वारा स्वयं** निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

(4) किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जायगा।

(5) निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी स्वयं ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया नाम निर्देशन पत्र वैध नहीं माना जायगा।

(6) किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा।

(7) कोई व्यक्ति जो स्वयं किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष का अभ्यर्थी है, उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा।

(8) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अभ्यर्थी के प्रस्तावक स्वयं उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकेंगे।

(9) किसी प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

9. नाम–निर्देशन पत्र की प्रारंभिक जाँच –

(1) निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त नाम निर्देशन पत्र की प्रारम्भिक जाँच कर ली जायेगी कि नाम निर्देशन पत्र में सभी कॉलम भरे गये हैं और सभी तरह की आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित है एवं आवश्यक शपथ पत्र तथा समुचित रूप से भरे गये अन्य कागजात संलग्न हैं तभी नाम निर्देशन करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(2) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक का नाम निर्देशन पत्र में अंकित नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक तथा मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक एक समान है; परन्तु निर्वाची पदाधिकारी -

(क) नाम निर्देशन पत्र में नाम अथवा क्रमांक संबंधी लिपिकीय भूल को शुद्ध कर मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक के सदृश करने की अनुमति दे सकेगा;

(ख) जहाँ आवश्यक हो उपर्युक्त प्रविष्टियों से संबंधित मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मुद्रण भूल को नजर अंदाज करने का निदेश दे सकेगा।

(ग) अगर निर्वाची पदाधिकारी आश्वस्त हो कि मतदाता सूची में गलत फोटो लग गया है तो उसे भी नजरअंदाज करने का निदेश दे सकेगा।

*(3) **निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा यदि उसके साथ निम्नांकित कागजात संलग्न नहीं हों :-***

(क) विहित प्रपत्र (अनुसूची-I) में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 के उपबंधों से अवगत होने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वार शपथ-पत्र;

(ख) विहित प्रपत्र (अनुसूची-II) में मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का नाम दर्ज होने की घोषणा; (नोट – संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का ही कोई मतदाता प्रस्तावक हो सकता है।)

(ग) विहित प्रपत्र (अनुसूची-III) में शपथ पत्र संलग्न एनेक्चर में वांछित सूचनायें ;

(घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधी लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्य होने के जाति प्रमाण-पत्र मूल में जो जिला दण्डाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो; (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक 1273 दिनांक 29.01.2021 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न)

*(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सदस्य तथा महिला के लिए ग्राम कचहरी के सरपंच/ पंच, ग्राम पंचायत मुखिया तथा पंचायतों के सदस्य/ पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य **पद जो विगत पंचायत आम निर्वाचन में आरक्षित किये गये हैं।** अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

(ii) बिहार पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचि जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम-1991) बिहार अधिनियम-3/ 1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 13623 दिनांक 10.09.2015 के अनुसूची-1 में अंकित जाति के व्यक्तियों को ही पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित पंचायत पदों पर नामांकन स्वीकृत किये जायेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 11699 दिनांक 10.12.2020 की छायाप्रति संलग्न)

*माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या - 18802/2017, डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस.एल.पी. (सी) संख्या-18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में **तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक 12679 दिनांक 09.08.2024 दृष्टिपथ में रखा जाये।*

(iii) उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सदस्य तथा महिला के लिए आरक्षित स्थानों के लिए ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला न हो।

उल्लेखनीय है कि विवाहित महिलाओं के संबंध में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के निवास स्थल से निर्गत जाति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा विहित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है। दूसरे राज्य के मूल निवासी एवं बिहार राज्य में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार देय नहीं है, परन्तु अन्य अर्हता पूरा करने पर अनारक्षित रिक्त पदों पर उनके निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 15760 दिनांक 02.09.2022 संलग्न)

निर्वाची पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूर्णतया संतुष्ट हो लेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत कौन-कौन निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऐसा न हो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति नामांकन पत्र भर दें या किसी कोटि विशेष के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी आरक्षित कोटि के व्यक्ति अपना नामांकन पत्र भर दें। गड़बड़ी दृष्टिगोचर होने पर आयोग ऐसे मामलों को अत्यन्त गंभीरता से लेगा तथा उत्तरदायी पदाधिकारियो/कर्मियों पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसी गड़बड़ियों के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। अतः निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति के अनुरूप ही उस कोटि के व्यक्तियों से नामांकन पत्र प्राप्त किये जायें।

(ङ) सरकारी कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क से संबंधित चालान या नाजिर रसीद;

(4) कोई नाम निर्देशन पत्र नाम निर्देशन के लिए प्रपत्र-5 की अनुसूची के स्तम्भ 8 में निर्धारित अंतिम तिथि को विहित समय के अन्दर नहीं देने पर उसे प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा विहित समय के बाद भूलवश प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

9. निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई –

(1) नाम निर्देशन प्राप्ति उपरांत निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को विहित प्रपत्र में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना देंगे तथा नाम निर्देशन पत्र पर उसका क्रमांक अंकित करेंगे एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की तिथि एवं समय अंकित करते हुए तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

(क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात अपने कार्यालय में सूचना पट पर अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक से संबंधित सूचनायें भी प्रकाशित की जायेंगी।

(ख) कोई अभ्यर्थी किसी पद के लिये दो से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा एवं इसके लिये एक ही नामांकन शुल्क देय होगा।

(ग) नाम निर्देशन पत्रों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नाम निर्देशन के लिये निर्धारित अंतिम तिथि को भेज दी जायेगी तथा इसकी प्रति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

(घ) नियम 36 के अधीन निर्गत प्रपत्र-5 में विभिन्न चरणों के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दिन शाम को सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह सूचना भेजी जायेगी कि कितने अभ्यर्थी

द्वारा नाम निर्देशन पत्र दखिल किया गया है। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिले की समेकित विवरणी ई-मेल द्वारा प्रतिदिन आयोग कार्यालय को भेजेंगे।**

विगत पंचायत आम निर्वाचन के अवसर पर ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि निर्वाची /सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले उपर्युक्त सभी कागजात रहने के बावजूद उक्त नियम का हवाला देते हुए नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये। इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कागजात की विवरणी (चेक लिस्ट) दो प्रति में तैयार की जाये जिसपर निर्वाची/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी और नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हो, मूल प्रति नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले को उपलब्ध करा दी जाय और दूसरी प्रति कार्यालय में संधारित किया जाये।

10. नाम-निर्देशन शुल्क –

(1) नियम 40 में नाम निर्देशन शुल्क के बारे में जो राशि निर्धारित है उसे प्राप्त करने के लिए या तो अभ्यर्थियों से कोषागार चालान प्राप्त किया जायगा या नकद राशि प्राप्त कर नाजीर रसीद दी जायगी। जैसाकि ऊपर बताया गया है, एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, परन्तु उसे अलग-अलग पद के लिए पृथक-पृथक नाम निर्देशन पत्र देना होगा और उनका अनुमान्य शुल्क भी अलग से भुगतान करना पड़ेगा जिसकी रसीद/ चालान की मूल प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन शुल्क की राशि **मुख्य शीर्ष (0515) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – लघु शीर्ष (101) पंचायत राज अधिनियम** के अन्तर्गत जमा की जाएगी। नाम निर्देशन शुल्क निम्न प्रकार होगा :-

(क)	ग्राम कचहरी के पंच/ ग्राम पंचायत के सदस्य के मामले में नाम निर्देशन शुल्क	– 250/- रू0 (दो सौ पचास रूपये)
	उक्त पद हेतु अगर अभ्यर्थी महिला/ अनुसूचित जाति/ जनजाति /पिछड़े वर्ग का सदस्य हो तो नाम निर्देशन शुल्क	– 125/- रू0 (एक सौ पचीस रूपये)।
(ख)	ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति के सदस्य के मामले में नाम निर्देशन शुल्क	– 1000/- रू0 (एक हजार रूपये)
	उक्त पदों पर अभ्यर्थी महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के हों, तो नाम निर्देशन शुल्क	– 500/- रू0 (पाँच सौ रूपये) ।
(ग)	जिला परिषद के सदस्य के मामले में नाम निर्देशन शुल्क	– 2000/- रू0 (दो हजार रूपये)
	उक्त पद हेतु अभ्यर्थी महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग के हों तो नाम निर्देशन शुल्क	– 1000/- रू0 (एक हजार रूपये) ।

(घ) यदि अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है तो उसे महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित नाम निर्देशन शुल्क लिया जायेगा। उक्त कोटि के उम्मीदवार चाहे किसी भी क्षेत्र (आरक्षित/ अनारक्षित) से नाम निर्देशन भरे, उनके लिए नाम निर्देशन शुल्क वही लगेगा जो नियम 40 में निर्धारित है।

(2) नाम निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

11. नाम–निर्देशन पत्र की संवीक्षा –

(i) बिहार पंचायत निर्वचन नियमावली, 2006 के नियम 41 में नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के बारे में प्रावधान किये गये हैं, जिसका अनुपालन पूर्णरूपेण किया जायेगा। निर्वाचन हेतु दाखिल किये गये नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान, तारीख और समय वही होगा जो सम्बन्धित प्रपत्र-5 में प्रकाशित किया गया हो।

(ii) संवीक्षा करने का वैधानिक अधिकार मात्र निर्वाची पदाधिकारी में निहित है। अतएवं संवीक्षा के दौरान नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाची पदाधिकारी को ही रहेगा।

(iii) नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि संवीक्षा सर्वप्रथम उस उम्मीदवार से प्रारम्भ की जाये जिसके द्वारा सर्वप्रथम नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है, अर्थात जिस क्रम में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है उसी क्रम में संवीक्षा कार्य सम्पन्न किया जाय। संवीक्षा के पश्चात सभी अभिलेख को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाय। संवीक्षा के दौरान इच्छुक अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता या प्रस्तावक नियत तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं।

(iv) निर्वाची पदाधिकारी नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और निम्नलिखित कारण से उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा -

(क) अभ्यर्थी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी स्थान हेतु निर्वाचित किये जाने के लिए निरर्हित है ;

(ख) प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निरर्हित है;

(ग) नियम 38, 39 या 40 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है;

(घ) नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है या हस्ताक्षर उनका नहीं है;

(ङ) अभ्यर्थी द्वारा ऐसे स्थान के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है जो महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है;

(च) नाम निर्देशन पत्र के साथ नियम 39 के उप नियम -1 के खण्ड - ''च'' में उल्लिखित कागजात दाखिल नहीं किया गया है;

(छ) आरक्षित यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।

(ज) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 18 की उप धारा 5 के तहत जिन मुखिया/उप मुखिया को निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने के आरोप में प्रमण्डलीय आयुक्त/राज्य सरकार द्वारा पद्च्यूत किया गया हो एवं अपीलीय प्राधिकार/सक्षम न्यायालय द्वारा उस आदेश को स्थगित या रद्द नहीं कर दिया गया हो तो, वैसे मुखिया/उप मुखिया पद्च्यूत किये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने के पात्र नहीं होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र भरा जाता है एवं यह मामला किसी व्यक्ति के द्वारा संज्ञान में लाया जाता है अथवा इस बात की जानकारी निर्वाची पदाधिकारी को पूर्व से है एवं निर्वाची पदाधिकारी आश्वस्त हो लेते हैं कि उनको पद्च्यूत किये जाने से संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/राज्य सरकार के

आदेश को अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित/ रद्द/ विखंडित नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्ति का नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) कोई नाम निर्देशन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो।

आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का नामांकन पत्र साधारण एवं तुच्छ कारणों से/ नजरअंदाज किये जाने वाले बिन्दुओं को आधार बनाकर एवं असारभूत तथ्यों को आधार बनाकर रद्द किया जाना उनके निर्वाचन लड़ने के संवैधानिक अधिकार का हनन माना जायेगा एवं इस हेतु उत्तरदायी सभी निर्वाची पदाधिकारियों पर आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा।

(vi) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने सम्बन्धी अपना विनिश्चय अंकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो संक्षेप में उसका कारण अंकित करेगा।

(viii) इस निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सुसंगत निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि को पेश करना उस प्रविष्टि में नामित किसी मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के सम्बन्ध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, जबतक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि अभ्यर्थी निरर्हित है।

(ix) नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का नाम एक से अधिक पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है तो इसका निदान इस रूप से किया जायेगा। सम्बन्धित व्यक्ति जिन-जिन पंचायतों की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है उन पंचायतों में से किसी एक ही पंचायत में चुनाव लड़ने हेतु नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। इस प्रकार पंचायत विशेष का चयन सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं करेंगे और तदनुसार उनसे संलग्न (अनुसूची - II) में एक शपथ-पत्र इस आशय का लिया जायगा कि अमुक पंचायत के निवासी के रूप में उनका नाम मतदाता सूची में सही दर्ज माना जाय। उक्त शपथ-पत्र में उनके द्वारा यह भी अंकित किया जायेगा कि उनका नाम अमुक-अमुक पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज है और इसकी (शपथ-पत्र की) एक प्रति दूसरे पंचायतों, जहाँ के मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, के निर्वाची पदाधिकारी को भी दी जायेगी ताकि ऐसे व्यक्ति द्वारा दूसरे पंचायत में नाम निर्देशन पत्र दाखिल न किया जा सके और न ही मताधिकार का प्रयोग किया जा सके।

(x) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के बाद निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों, जिनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत कर लिये गये हैं, की सूची प्रपत्र-7 में तैयार करेंगे तथा उसे अपने कार्यालय में प्रकाशित करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 41 में संवीक्षा के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्यों/ अनुदेशों का समावेश है। इसके बावजूद विगत वर्षों में संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से जाने-अनजाने में की जाने त्रुटियों में वृद्धि के कारण अनावश्यक रूप से वादों में वृद्धि की प्रवृत्ति परीक्षित हुई है।

विगत निर्वाचनों के उपरान्त आयोग/माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं चुनाव याचिका में सक्षम न्यायालयों के समक्ष दायर वादों में प्रमुख रूप से निम्नरूपेण त्रुटियाँ उजागर हुई हैं :-

1. **गलत अभिलेखों के आधार पर नामांकन की स्वीकृति;**
2. **पक्षपात पूर्ण ढ़ंग से बिना सूचित किये नामांकन पत्र को रद्द करना;**

3. प्राप्त नामांकन पत्र का सूचना पट पर प्रकाशन नहीं करना तथा आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं करना, जिससे आपत्ति प्राप्त नहीं की जा सकी आदि;

4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से महिला अभ्यर्थियों के मामले में पति के जाति एवं निवास स्थल से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना।

निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त आयोग के समक्ष लाये जाने अथवा संज्ञान में आने पर ऐसे पद धारकों को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की संगत धाराओं में पदमुक्त करने एवं पुन: निर्वाचन कराये जाने के कारण समय, श्रम एवं सार्वजनिक वित्त की क्षति होती है। अतएव समय, श्रम एवं सार्वजनिक वित्त के रक्षार्थ आयोग का प्रयास है कि संवीक्षा की तिथि के समय प्राप्त आपत्तियों का उचित निष्पादन किया जाय। इसके निमित्त संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी विशेष के बारे में आपत्ति किये जाने की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा, जिसका निर्धारण आयोग के निदेशानुसार किया गया है, जो निम्नवत् है :–

(क) प्राप्त नामांकन पत्र को हर हाल में उसी दिन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) प्राप्त नामांकन पत्र को नियमानुसार सूचना पट्ट पर अवश्य प्रदर्शित किया जाए। प्रदर्शित नामांकन पत्र की फोटोग्राफी Geotag, date & time के साथ करते हुए इसकी प्रति मूल संचिका में संधारित की जायेगी तथा संचिका का विधिवत पृष्ठांकन आवश्यक होगा।

(ग) अभ्यर्थी विशेष के बारे में आपत्ति करने वाले आपत्तिकर्त्ता को संलग्न विहित प्रपत्र में पावती अवश्य दी जाये।

(घ) जिनके नामांकन के विरूद्ध आपत्ति किये गये हैं उन्हें विधिवत रूप से सूचना देकर तामिला करा लिया जाय। सुनवाई में उनकी उपस्थिति विधिवत उपस्थिति पंजी में प्राप्त कर पंजी संधारित कर ली जाए।

(ङ) जिस अभ्यर्थी के नामांकन के विरूद्ध सुनवाई किया जाना है अन्तिम आदेश फलक के पार्श्व में आपत्तिकर्त्ता एवं अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अवश्य लिया जाए। साथ ही आदेश की प्रति दोनों को हस्तगत करायी जाए तथा आदेश फलक उसी दिन आयोग के पोर्टल पर अपलोड का दी जाए।

(च) आपत्ति के पश्चात सुनवाई के दौरान सभी गतिविधियों की विडियोग्राफी सुनिश्चित की जाय।

12. अभ्यर्थिता वापस लिया जाना :

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के **नियम 42** में अभ्यर्थिता वापस लेने का प्रावधान है। विभिन्न चरणों में निर्वाचन हेतु निर्गत प्रपत्र-5 में अंकित तारीख एवं समय के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र-8 में सूचना देकर अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है।

स्पष्ट किया जाता है कि एक पद के लिए दो सेट में नामांकन करने पर भी एक प्रपत्र-8 में अभ्यर्थिता वापसी पर्याप्त होगी।

अभ्यर्थिता वापसी पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर को नाम निर्देशन पत्र एवं पंजियों पर उसके हस्ताक्षर से मिलान कर स्वीकृत किया जायेगा एवं एक बार अभ्यर्थिता वापसी के आवेदन स्वीकृत होने पर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. अभ्यर्थियों की सूची :

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के **नियम 43** में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करने के बारे में प्रावधान किया गया है। नियम 36 के अधीन निर्गत प्रपत्र-5 के अनुसार अभ्यर्थिता वापसी का समय समाप्त होने के ठीक बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-9 मे तैयार कर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी और इसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को भी भेज दी जायेगी।

इस सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्ण-क्रमानुसार नाम, पता सहित उल्लिखित रहेगा, परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्रथम नाम एक ही हो तो नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्यानुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्टक में क्रमशः (1), (2), (3) आदि अंकित किया जायेगा जिसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(ii) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि एवं समय नियम 36 के अधीन निर्गत प्रपत्र-5 में अंकित किया गया है। अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है।

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित समय के तुरंत बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जिनका नाम प्रपत्र-9 में अंकित किया गया है, को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा। निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन की रीति के बारे में अलग से अनुदेश दिया जा रहा है।

प्रपत्र 9 के आधार पर मतपत्रों का मुद्रण के संबंध में विस्तृत अनुदेश आयोग द्वारा शीघ्र भेजे जायेंगे।

14. निर्विरोध निर्वाचन :

नियम 51 में निर्विरोध निर्वाचन से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है। **यदि किसी स्थान के लिए अभ्यर्थिता वापस लिये जाने के पश्चात केवल एक ही अभ्यर्थी शेष रहता है और उसका नाम निर्देशन पत्र वैध पाया गया हो तो निर्वाची पदाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र-13 में उसे विधिवत निर्वाचित घोषित करेंगे और उसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे।**

यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा गया हो या भरे गए नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत नहीं किया गया हो या अभ्यर्थिता वापस लेने के पश्चात् कोई भी उम्मीदवार उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए शेष नहीं रह जाता हो तो उसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को भेज दी जायेगी। आयोग इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेगा।

15. निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रपत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना :

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 119 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को नियम 120 के अधीन जिला गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नियम 118 में उल्लिखित निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी प्रपत्र-29 में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना है जिसके साथ प्रपत्र-30 में एक शपथ/घोषणा भी दाखिल किया जाएगा।

निर्वाची पदाधिकारी नामांकन भरने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके नामांकन के समय ही प्रपत्र-29 एवं प्रपत्र-30 की प्रति उपलब्ध करा देंगे तथा उन्हें पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 118, 119 तथा

120 के प्रावधानों से भलीभाँति अवगत करा देंगे। निर्वाचन के पश्चात इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

16. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पहचान पत्र निर्गत करना :

अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को संलग्न अनुसूची - XIII में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा।

पहचान पत्र अपेक्षाकृत बड़े साईज में बनाया जायेगा ताकि इसके दाहिने शीर्ष भाग (right top portion) में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ स्थान (space) उपलब्ध रहे।

अभ्यर्थी द्वारा अपने हाल का फोटोग्राफ दो प्रतियों में निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा इस पर निर्वाची पदाधिकारी का सील इस तरह लगाया जायेगा कि कुछ हिस्सा फोटोग्राफ पर पड़े एवं बाकी हिस्सा पहचान पत्र पर।

पहचान पत्र की एक प्रति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अभिलेख (record) के रूप में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को हस्तगत करा दी जायेगी।

17. निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति :

निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति आदि के संबंध में नियम 45 में प्रावधान किया गया है। उक्त नियम के उप नियम (2) तथा (3) के उपबन्ध के अनुसार प्रपत्र-10 में मतदान के पूर्व अभ्यर्थी किसी भी समय निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है। इसी प्रकार अभ्यर्थी किसी भी समय अपने हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है।

निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में अभ्यर्थी नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। **पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए योग्यता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।**

18. मतदान का प्रत्यादिष्ट (Countermand) होना :

नियम 43 के अधीन प्रपत्र-9 में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के नियत समय के प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है, तो उस अभ्यर्थी की मृत्यु तथ्य का समाधान हो जाने पर निर्वाची पदाधिकारी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देंगे और इसकी सूचना आयोग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से देंगे। आयोग से निदेश प्राप्त होने पर निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

19. इस परिपत्र के साथ निम्नलिखित अनुसूचियां संलग्न हैं-

(1)	अनुसूची - I	शपथ - पत्र
(2)	अनुसूची - II	शपथ -पत्र
(3)	अनुसूची - III	शपथ-पत्र एवं एनेक्सर में दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र
(4)	अनुसूची - IV	प्रपत्र -5
(5)	अनुसूची - V	प्रपत्र -6
(6)	अनुसूची - VI	प्रपत्र -7
(7)	अनुसूची - VII	प्रपत्र -8
(8)	अनुसूची - VIII	प्रपत्र -9

(9) अनुसूची - IX प्रपत्र - 10
(10) अनुसूची - X प्रपत्र - 13
(11) अनुसूची - XI प्रपत्र -29
(12) अनुसूची - XII प्रपत्र -30
(13) अनुसूची - XIII अभ्यर्थी का पहचान पत्र का प्रपत्र

20. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अतिरिक्त इस विस्तृत दिशा-निर्देश में जो अतिरिक्त अनुदेश समाहित किये गये हैं, वे सभी अनुदेश बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 116 के तहत् प्रदत्त शक्ति के अधीन निर्गत है।

इस दिशा-निर्देश को अंकित करने में पूरी सावधानी बरती जा रही है, इसके बावजूद दिशा निर्देश का कोई भी अंश या सम्पूर्ण निर्देश यदि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के किसी प्रावधान के संगत नहीं पाया जाता है तो वह दिशा-निर्देश उस अंश तक शून्य समझा जाएगा तथा अधिनियम/नियमावली के प्रावधान ही मान्य होंगे।

21. **अनुरोध है कि इस निदेश एवं अनुलग्न अनुसूचियों की पर्याप्त प्रतियॉ अपने स्तर पर तैयार कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।**

अनुलग्नक : यथोक्त एवं अनुलग्नक सूची के अनुसार।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 12/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-37/2025 -2686 पटना, दिनांक - 12.06.25
प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजेर को पत्र आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर) 12/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-37/2025 - 2686 पटना, दिनांक - 12.06.25
प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर) 12/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-37/2025 - 2686 पटना, दिनांक - 12.06.25
प्रतिलिपि सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर) 12/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-37/2025 - 2686 पटना, दिनांक - 12.06.25
प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(हस्ताक्षर) 12/6/25
सचिव।

अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.	विषय	पत्रांक/दिनांक
1.	पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I एवं अनुसूची-II तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र	11699/10.12.2020
2.	स्थानीय निकायों के चुनाव में नामांकन के समय प्रत्याशी की सही उम्र की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में।	1380/03.05.2023
3.	विवाहित महिलाओं के संबंध में आरक्षण की स्थिति (सामान्य प्रशासन विभाग)	15760/02.05.2022 3417/01.09.2021
4.	तृतीय लिंग के मतदाता के निर्वाचन लड़ने के संबंध में	5697/22.10.2021

शपथ–पत्र

नियम–38

मैं.. पिता/पति ....

उम्र .... वर्ष, जो ग्राम .... थाना .... जिला ...., बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत ....के मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच/ग्राम पंचायत... के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच /पंचायत समिति .... के सदस्य/जिला परिषद .... के सदस्य के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ;

कि मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 के तहत ग्राम कचहरी के पंच/सरपंच/ मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

स्थान -

दिनांक -

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

शपथ–पत्र

नियम–39 (1) (क) (अभ्यर्थी/प्रस्तावक)

मैं... पिता/पति .... उम्र

.... वर्ष, जो ग्राम .... थाना .... जिला

.............................., बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मेरा नाम निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5

कि मैं सिर्फ जिला ...., प्रखंड ....
के ग्राम पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची, जिसमें मेरा नाम दर्ज है, के मतदाता के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मताधिकार का उपयोग करूँगा तथा मैं किसी अन्य पंचायत, जिसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित मतदाता सूची में भी मेरा नाम दर्ज है, में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी अथवा मतदाता के रूप में अपने अधिकार का उपयोग नहीं करूँगा।

कि निर्वाचन के उपरान्त मतदाता घोषणा पत्र में अंकित हलफनामा गलत पाया गया और अकाट्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि किसी दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (पंचायत/नगरपालिका) में पूर्व से दर्ज नाम को जानबूझकर छिपाया गया है अथवा उसे विलोपित करने हेतु आवेदन संवीक्षा के पूर्व विहित प्रपत्र में नियमानुसार नहीं दिया गया है, तो एक ही समय में एक साथ दो स्थानों पर अर्हता के सह–अस्तित्व के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 135 के तहत अर्जित अर्हता शून्य समझी जाएगी एवं मतदाता होने की अर्हता से संबंधित दावा मान्य नहीं होगा।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

स्थान –

दिनांक –

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

शपथ–पत्र

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत मैं .... पिता/पति .... उम्र .... वर्ष, जो ग्राम .... थाना.................................... जिला ...., बिहार का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत ....के मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच/ग्राम पंचायत.. के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच /पंचायत समिति .... के सदस्य/जिला परिषद .... के सदस्य के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ;

कि मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के प्रावधानों के तहत ग्राम कचहरी के पंच/सरपंच/ मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के नामांकन पत्र के साथ संलग्न अनुसूची (III) (क) में आवश्यक सूचनाओं की जानकारी दे रहा हूँ।

कि संलग्न एनेक्सर में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एव जानकारी में सही और सत्य है।

1.गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर- .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

पता - ....

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - ....

पता - ....

स्थान -

दिनांक -

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

एनेक्सचर

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 125 (क) (1) के अन्तर्गत पंचायत निकायों / ग्राम कचहरी के निर्वाचन के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के साथ दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

.......................जिला के..................... जिला परिषद/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत / ग्राम कचहरी के प्रा0 नि0 क्षे0 सं0 .... के सदस्य/ पंच / ग्राम पंचायत मुखिया / ग्राम कचहरी के सरपंच का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/ पति का नाम –

1. क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थ दण्ड से दंडित किये गये है –

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये -

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या -

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति -
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड -

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो -

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि -

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/ पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ?

(i) अपील संख्या/ पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण -

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/ पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया -

(iii) क्या दायर अपील/ पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है -

(iv) यदि निष्पादित है, तो
(क) निष्पादन की तिथि -
(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण -

(v) क्या अपील/ पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया -

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि -

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें –

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों –

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या–

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है ? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :-

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है -

(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है -

(iii) अपराध संख्या -

(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक -

(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण -

3. क्या आपके विरूद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है ? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें :-

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है -

(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है -

(iii) अपराध संख्या -

(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक -

(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण -

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण –

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पत्ति :-

(i) कृषि भूमि -

(ii) शहरी भूमि -

(iii) भवन -

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति :-

(i) नकद –

(ii) बैंक बैलेन्स –
(बैंक का प्रिन्ट आऊट संलग्न करें)

(iii) फिक्स डिपोजिट
(प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

(iv) बॉण्ड, शेयर –
(इसके प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)

(v) वाहन
(निबंधन की छआयाप्रति संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें)

6 ** (क) अपने पति/ पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं –
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें –

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य है।

स्थान -
तिथि -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* वित्तीय

* वित्तीय संस्था/ बैंक/ सरकार/ आयकर/ वेल्थ टैक्स/ प्रोपर्टी टैक्स/ विक्री कर संबधी बकाया।

नोट : सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ ``शून्य" अवश्य अंकित किया जाए। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और वह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

अनुसूची – III (ख)

अभ्यर्थी का बायोडाटा

अभ्यर्थी का फोटो

जिला – **प्रखंड –**

पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का नाम – **पद का नाम –**

पद के आरक्षण की स्थिति –

---

1. अभ्यर्थी का नाम –
2. लिंग – पुरूष / स्त्री / थर्ड जेन्डर
3. पिता/पति का नाम –
4. पता – प्रखंड - ग्राम -
   थाना - पोस्ट -
5. जन्म तिथि –
6. शैक्षणिक योग्यता –
7. विवाहित/अविवाहित –
8. विवाहित होने की स्थिति में संतान/संतानों की संख्या – पुत्र - पुत्री -
9. श्रेणी –
   (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अन्य)
10. पेशा –
11. वार्षिक आय –
12. किस विषय (कला/संस्कृति/समाजसेवा आदि) में रूचि रखते हैं
13. दूरभाष/मोबाईल संख्या (यदि हो) –
14. क्या पंचायत के किसी पद पर पूर्व में निर्वाचित हुए हैं ? (यदि हाँ तो भरें)

वर्ष	पद का नाम जिसपर निर्वाचित हुए
2001 –	
2006 –	
2011 –	
2016 –	

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रपत्र – 5

(नियम 36 देखिये)

कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी ....

निर्वाचन की सूचना

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं...जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला .... इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट * ग्राम पंचायत के सदस्यों/* ग्राम कचहरी के पंचों/* ग्राम पंचायत के मुखिया/ * ग्राम कचहरी के सरपंच/* पंचायत समिति/* जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि :–

(क) अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी * ग्राम पंचायत/* ग्राम कचहरी/* पंचायत समिति/* जिला परिषद् .... के लिए* पंचो/* सदस्यों/* मुखिया/* सरपंच के निर्वाचन का संचालन करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि और समय होगा।

(ग) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा।

(घ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (10) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा।

(ङ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतदान की तारीख और समय होगा।

(च) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतों की गणना करने की तारीख और समय होगा।

(छ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा।

स्थान ....

तारीख ....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी – यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्तम्भ (12) में अंकित तारीख और समय एवं स्तम्भ (13) में अंकित स्थान पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधित कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	* ग्राम पंचायत * ग्राम कचहरी * पंचायत समिति * जिला परिषद् का नाम।	पद	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/ अन्य	निर्वाची पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम
1	2	3	4	5	6	7

नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि (तारीख) और समय	नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय।	नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय।	वह तारीख तथा वह समय जिसके दौरान मतदान होगा।	मतों की गणना करने की तारीख और समय।	मतों की गणना का स्थान
8	9	10	11	12	13

स्थान .... जिला निर्वाचन पदाधिकारी

तारीख .... जिला ....

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी – 1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नामका उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ``अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।

2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

3. स्तम्भ 8 में ``अवधि (तारीख)'' नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा ``मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक''।

प्रपत्र – 6

(नियम 38 (2), 39 (1) देखिये)

नाम निर्देशन–पत्र

जिला... प्रखंड ....

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या.. से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या.. से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....पंचायत समिति के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................... से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन।

मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम –

पिता/माता/पति का नाम –

डाक पता – प्रखंड – जिला –

जो ग्राम पंचायत .... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... की मतदाता सूची में क्रमांक .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है जो जिला .... प्रखंड .... ग्राम पंचायत .... के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... की मतदाता सूची में क्रमांक .... पर प्रविष्ट है।

स्थान ....

तारीख ....

प्रस्तावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।

(ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।

(घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का हूँ। सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान ....

तारीख .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक ....

यह नाम निर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख .... को ....(बजे) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं परिदत्त किया गया।

तारीख .... निर्वाची पदाधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय।

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 41 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

स्थान ....

तारीख .... निर्वाची पदाधिकारी

- -

(छिद्रण)

नाम निर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को दी जाने के लिये)

नाम निर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक ....

श्री/सुश्री/श्रीमती .... का, जो* .... के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, नाम निर्देशन-पत्र मुझे तारीख .... को .... (बजे) अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख .... को .... (बजे) स्थान .... में की जायेगी।

स्थान ....

तारीख .... निर्वाची पदाधिकारी

* इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

प्रपत्र – 7

(नियम 41 (6) देखिये)

विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

जिला.. प्रखंड ....

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................. से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या....................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या...................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................. से ....पंचायत समिति के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................ से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र – 8

(नियम 42 देखिये)

अनुसूची –VII

पंचायत निर्वाचन

अभ्यर्थिता वापस ली जाने की सूचना

जिला... प्रखंड ....

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.......................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या..................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या..................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....पंचायत समिति के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

निर्वाची पदाधिकारी,

मैं .... पुत्र/पुत्री/पति ...., जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिये विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद् द्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी
का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में .... (तारीख) को .... बजे अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा परिदत्त की गयी।

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

वापसी की सूचना के लिये रसीद

(सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने के लिये)

श्री/सुश्री/श्रीमती .... जो** .... के लिये निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के प्रस्तावक/अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा मेरे कार्यालय में .... (बजे) .... (तारीख) को दी गई।

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी

** इस स्थान पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम तथा संबंधित पद लिखें जैसा इस प्रपत्र के शीर्ष भाग पर प्रस्तावक द्वारा अंकित किया गया है।

प्रपत्र – 9

(नियम 43 (1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जिला.. प्रखंड ....

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.......................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या...................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या..................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................. से ....पंचायत समिति के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

E:\pm5\P_Bye_E_25.pmd\32

प्रपत्र – 10

(नियम 45 (1) देखिये)

अनुसूची –IX

पंचायत निर्वाचन

निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

जिला.. प्रखंड ....

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.......................... से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या......................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या.................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या.................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................ से ....पंचायत समिति के सदस्य

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................ से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

मैं (अभ्यर्थी का नाम) .... उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ तथा श्री .... (अभिकर्त्ता का नाम एवं पता) को आज की तारीख से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र – 13
(नियम 51 (1) देखिये)

अनुसूची –X
पंचायत निर्वाचन

निर्विरोध निर्वाचन

* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....ग्राम पंचायत के सदस्य
* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................ से ....ग्राम कचहरी के पंच
* निर्वाचन क्षेत्र संख्या....................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया
* निर्वाचन क्षेत्र संख्या....................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच
* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....पंचायत समिति के सदस्य
* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या............................. से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 51 के अध्यधीन मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि :-

श्री/ सुश्री/ श्रीमती ....

पता ....

जो उपर्युक्त पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी थे/ थी, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ गई हैं।

स्थान ....

तारीख ....   निर्वाची पदाधिकारी

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुसूची –XI

प्रपत्र–29

निर्वाचन व्यय लेखा का प्रपत्र

[देखें नियम – 119]

क्रमांक	व्यय का मद	मात्रा/संख्या	किस व्यक्ति/संस्था द्वारा व्यय वहन किया गया	व्यय की गई राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान का तरीका (चेक/नगद)	भुगतान का प्रमाण (प्राप्ति रसीद/चेक का विवरण)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जमानत की राशि							
2.	मतदाता सूची का क्रय							
3.	होर्डिंग, बैनर, झंडा, पर्णिका, पोस्टर सार्वजनिक घोषणा-पत्र का मुद्रण/ लगाने/वितरण पर हुए व्यय							
4.	विज्ञापन का प्रकाशन							
5.	आम सभा के प्रचार तथा सभा स्थल, पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, फोटोग्राफर इत्यादि के किराये पर हुए व्यय							
6.	ऑडियो कैसेट के निर्माण एवं प्रसारण पर हुए व्यय							
7.	अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता / मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता द्वारा प्रयोग में लाये गये वाहनों का किराया/ इंधन में हुए व्यय							
8.	निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता/समर्थकों के पारिश्रमिक/ अल्पाहार/आहार पर हुए व्यय							
9.	उपर्युक्त से भिन्न विविध व्यय							

दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

E:\pm5\P_Bye_E_25.pmd\36

(क) व्यय प्रतिवेदन दाखिल किये जाने की अपेक्षित तिथि ....

(ख) व्यय प्रतिवेदन दाखिल किये जाने की तिथि ....

दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन की जाँच की गई है तथा मेरी राय में यह अपेक्षित तरीके से दाखिल/ दाखिल नहीं किया गया है।

दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :-

1. उन मदों जिनके लिए रसीद प्राप्त नहीं की जा सके, यथा, रेल यात्रा या डाक टिकट, को छोड़कर शेष सभी वस्तु/मद (Item) जो बीस रूपये या उससे अधिक राशि की हो, का भाउचर संलग्न किया जाना है।
2. भुगतान की गई वैसी सभी राशि, जिनके लिए प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं की गयी हो, का विस्तृत विवरण, भुगतान की तिथि के साथ, अंकित किया जाना है।
3. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रपत्र -30 में शपथपत्र के साथ निर्वाचन व्यय प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

अनुसूची -XII

प्रपत्र - 30

[देखें नियम - 119]

शपथ-पत्र

मैं, ...

पिता/पति .... उम्र .... वर्ष,

जो ....जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... के सदस्य पद/ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी .... के मुखिया/सरपंच/पंच पद का अभ्यर्थी रहा हूँ,

एतद् द्वारा निष्ठा एवं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित निर्वाचन व्यय का लेखा मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही एवं सत्य है।

दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी पहचान पत्र

पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी का निर्वाचन, 2021

फोटोग्राफ

श्री .... (नाम एवं पता),

.... प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति /जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या* .... से ग्राम पंचायत सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य/ ग्राम पंचायत के मुखिया/ग्राम कचहरी के सरपंच/पंच** .... पद के अभ्यर्थी हैं।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

स्थान -
दिनांक -

निर्वाची पदाधिकारी
(मोहर नाम, पदनाम के साथ)

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुसूची –XIIV

निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय

(नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कागजात की विवरणी)

जिला का नाम –

प्रखंड का नाम –

आवेदक का नाम –

पद का नाम –

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 39(च) के आलोक में नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए गए कागजातों की स्थिति निम्नवत है –

क्रमांक	कागजात की विवरणी	संलग्न की स्थिति (हाँ/नहीं)
1	2	3
1.	अनुसूची-I में मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रतावक के नाम दर्ज होने की घोषणा (शपथ-पत्र के रूप में)	
2.	अनुसूची-II में सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित रहने संबंधी घोषणा (शपथ पत्र के रूप में)	
3.	अनुसूची- III,,III(क) एवं III (ख) में अभ्यर्थी के बारे में सूचनाएँ (शपथ पत्र के रूप में)	
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधी लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग सदस्य होने का जाति प्रमाण-पत्र, मूल में, जो जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो;	
5.	सरकारी कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क चालान या नाजीर रसीद	

उपर्युक्त नाम निर्देशन पत्र के साथ उपर्युक्त कागजात नहीं होने के कारण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम के तहत् नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

नाम निर्देशन दाखिल करने वाले का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :– उक्त विवरण दो प्रति कार्बन कॉपी में तैयार किया जायेगा, जिसकी मूल प्रति नाम निर्देश करने वाले को दिया जायेगा तथा दूसरी प्रति निर्वाची पदाधिकारी के पास संधारित रखा जायेगा।

पंचायत निर्वाचन
नामांकन पत्र के विरूद्ध आपत्ति की पावती
(कार्यालय की प्रति)

1. जिला –

2. प्रखंड का नाम – ग्राम पंचायत का नाम –

3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

4. प्रत्याशी का नाम एवं पता (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है)

5. पद का नाम (जिसके लिए नामांकन किया गया है) –

6. आपत्ति की तिथि –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)

7. आपत्ति का समय –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

पंचायत निर्वाचन
नामांकन पत्र के विरूद्ध आपत्ति की पावती
(आपत्तिकर्त्ता की प्रति)

1. जिला –

2. प्रखंड का नाम – ग्राम पंचायत का नाम –

3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

4. प्रत्याशी का नाम एवं पता (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है)

5. पद का नाम (जिसके लिए नामांकन किया गया है) –

6. आपत्ति की तिथि –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)

7. आपत्ति का समय –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

पंचायत निर्वाचन
नामांकन पत्र के विरूद्ध आपत्ति की सुनवाई हेतु नोटिस

मैं, ..., निर्वाची पदाधिकारी-सह-.........................., इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि .... पर आपके नामांकन के विरूद्ध स्वतःसंज्ञान/... से परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण
(परिवादी का नाम)
निम्नवत् है :-

1. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

2. आपत्ति का संक्षिप्त विवरण –

आपत्ति पर सुनवाई की दिनांक .... पूर्वाह्न/अपराह्न .... बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निर्धारित है, जिसमें स्वयं आपका अथवा प्राधिकार पत्र के साथ आपके प्रस्तावक को उपस्थित होकर आपका पक्ष रखना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने की स्थित में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

ध्यातव्य रहे कि निर्वाचन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है तथा वैधानिक प्रावधानों के अधीन समयसीमा से बंधा है, इसलिए किसी प्रकार का समय विस्तार देय नहीं है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट : प्राप्त करने से इन्कार करने पर अभ्यर्थी के लिखित पते पर नोटिस चिपकाएँ एवं Geotag फोटो तथा दो गवाह का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाए।

ज्ञापांक – दिनांक –

प्रतिलिपि .... को
(आपत्तिकर्त्ता/परिवादी का नाम एवं पता)
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त वर्णित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में निर्विवाद/ठोस साक्ष्य दिया जाए।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पत्र संख्या–11/आ0 विविध–05/2020 सा0प्र0 11699

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 10-12-2020

विषय :– **पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के आलोक में पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–I एवं एनेक्चर–II तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1438 दिनांक–02.12.2020 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 तथा परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.01.2007, जिसके द्वारा क्रमशः अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–I) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची परिचारित की गई है, संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यह अद्यतन सूची है।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/12/2020

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

2055
29.12.2020

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER--2

(2)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1041) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2015

सं० 11 / वि0–2–पि0व0आ0–6 / 2005–13623सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 10 सितम्बर 2015

विषय :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम–1991) बिहार अधिनियम–3 / 1992 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) का सम्प्रेषण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 10398 दिनांक 30.07.2015 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची परिचालित की गई है। कालक्रम से बिहार अधिनियम–3 / 1992 में अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गो की सूची में संशोधन किया जाता रहा है, जिसे जन साधारण की जानकारी के लिए पुनः परिचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार अधिनियम–3, 1992 के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) की अद्यतन सूची सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचालित कर दिया जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम एवं संकल्प की प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाए।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची–1)

1	कपरिया	1	Kapadia
2	कानू/(विलोपित)	2	Kanu / (Deleted)
3	(विलोपित)	3	(Deleted)
4	कलन्दर	4	Kalandar
5	कोछ	5	Kochh
6	कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र	6	Kurmi (Mahto) (Jharkhand autonomous area)
7	केवट (कउट)	7	Kewat (Kaut)
8	कादर	8	Kadar
9	कोरा	9	Kaura
10	कोरकू	10	Korku
11	केवर्त	11	Kaibart
12	(विलोपित)	12	(Deleted)
13	खटवा	13	Khatwa
14	(विलोपित)	14	(Deleted)
15	खतौरी	15	Khatouri
16	खंगर	16	Khangar
17	खटिक	17	Khatik
18	खेलटा	18	Khelta
19	(विलोपित)	19	(Deleted)
20	(विलोपित)	20	(Deleted)
21	गोड़ी (छावी)	21	Gorhi (Chhabi)
22	गंगई (गणेश)	22	Gangai (Ganesh)
23	गंगोता	23	Gangota
24	(विलोपित)	24	(Deleted)
25	गंधर्व	25	Gandharb
26	गुलगुलिया	26	Gulgulia
27	(विलोपित)	27	(Deleted)
28	चांय	28	Chain
29	चपोता	29	Chapota
30	चन्द्रवंशी (कहार, कमकर)	30	Chandrabansi (Kahar, Kamkar)
31	टिकुलहार	31	Tikulhar
32	ढेकारू	32	Dhekaru
33	(विलोपित)	33	(Deleted)

34	तमरिया	34	Tamaria
35	तुरहा	35	Turha
36	तियर	36	Tiar
37	(विलोपित)	37	(Deleted)
38	धानुक	38	Dhanuk
39	धामिन	39	Dhamin
40	धीमर	40	Dhimar
41	धनवार	41	Dhanwar
42	नोनिया	42	Nonia
43	(विलोपित)	43	(Deleted)
44	नाई	44	Nai
45	नामशुद्र	45	Namsudar
46	पाण्डी	46	Pandi
47	पाल (भेड़िहार, गड़ेरी)	47	Pal (Bherihar, Gareri)
48	प्रधान	48	Pradhan
49	पिनगनिया	49	Pingania
50	पहिरा	50	Pahira
51	वारी	51	Bari
52	बेलदार	52	Beldar
53	बिन्द	53	Bind
54	(विलोपित)	54	(Deleted)
55	सेखड़ा	55	Shekhra
56	बागदी	56	Bagdi
57	भुईयार	57	Bhuiyar
58	भार	58	Bhar
59	(विलोपित)	59	(Deleted)
60	भास्कर	60	Bhaskar
61	माली (मालाकार)	61	Mali (Malakar)
62	मांगर	62	Mangar
63	मदार	63	Madar
64	मल्लाह	64	Mallah
65	मझवार	65	Majhwar
66	मारकन्डे	66	Markandey
67	मोरियारी	67	Moriyari
68	मलार (मालहोर)	68	Malar (Malhor)
69	मौलिक	69	Molik
70	राजधोबी	70	Rajdhobi
71	राजभर	71	Rajbhar
72	रंगवा	72	Rangwa

73	वनपर	73	Banpar
74	(विलोपित)	74	(Deleted)
75	सौटा (सोता)	75	Shota (Shota)
76	संतराश (केवल नवादा जिले के लिए)	76	Sang-Trash (for Nawada district only)
77	(विलोपित)	77	(Deleted)
78	अघोरी	78	Aghouri
79	अबदल	79	Abdal
80	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)	80	Kasab (Kasai)(Muslim)
81	चीक (मुस्लिम)	81	Chik (Muslim)
82	डफाली (मुस्लिम)	82	Dafali (Muslim)
83	धुनिया (मुस्लिम)	83	Dhunia (Muslim)
84	धोबी (मुस्लिम)	84	Dhobi (Muslim)
85	नट (मुस्लिम)	85	Nut (Muslim)
86	पमरिया (मुस्लिम)	86	Pamaria (Muslim)
87	भठियारा (मुस्लिम)	87	Bhathiara (Muslim)
88	भाट (मुस्लिम)	88	Bhat (Muslim)
89	मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89	Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90	मिरियासीन (मुस्लिम)	90	Miriasin (Muslim)
91	मदारी (मुस्लिम)	91	Madari (Muslim)
92	मोरशिकार (मुस्लिम)	92	Meershikar (Muslim)
93	साई / फकीर / दिवान / मदार (मुस्लिम)	93	Saeen/Fakir/Diwan/Madar (Muslim)
94	मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा / अंसारी)	94	Momin (Muslim)(Julaha/Ansari)
95	अमात	95	Amat
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	96	Churihar (Muslim)
97	प्रजापति (कुम्हार)	97	Prajapati (Kumhar)
98	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	98	Raeen or Kunjara (Muslim)
99	सोयर	99	Soyar
100	ठकुराई (मुस्लिम)	100	Thakurai (Muslim)
101	नागर	101	Nagar
102	शेरशाहबादी	102	Shershahbadi
103	बक्खो (मुस्लिम)	103	Bakkho (Muslim)
104	अदरखी	104	Adrakhi
105	छीपी	105	Chhipi
106	तिली	106	Tili
107	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)	107	Idrisi or Darji (Muslim)
108	सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108	Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)
109	रंगरेज (मुस्लिम)	109	Rangrej (Muslim)
110	सिंदुरिया बनिया / कैथल वैश्य / कथबनिया	110	Sinduria Bania / Kaithal Vaishya / Kath Bania

111	मुकेरी (मुस्लिम)	111	Mukeri (Muslim)
112	ईटफरोश / ईटाफरोश / गदहेड़ी / ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	112	Itfarosh/Itafarosh/Gadheri/Itpaj Ibrahimi (Muslim)
113	बढ़ई	113	Barhi
114	पटवा	114	Patwa
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	115	Kamar (Lohar & Karmkar)
116	देवहार	116	Dewhar
117	सामरी वैश्य	117	Samari Vaishya
118	हलुवाई	118	Haluwai
119	पैरघा / परिहार	119	Pairagha / Parihar
120	जागा	120	Jaga
121	लहेड़ी	121	Laheri
122	राजवंशी (रिसिया / देशिया या पोलिया)	122	Rajbanshi (Risia / Deshiya or Polia)
123	कुल्हैया	123	Kulhaiya
124	अवध बनिया	124	Awadh Bania
125	बरई, तमोली (चौरसिया)	125	Barai,Tamoli (Chaurasia)
126	तेली	126	Teli
127	दांगी	127	Dangi

नोटः— उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए, जैसे तेली में दोनों :—हिन्दु तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम—1991) बिहार अधिनियम—3 / 1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—1) में जिन जातियों / वर्गों का समावेशन / विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है:—

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम / संकल्प संख्या
2	'कानू' के साथ 'कानू / हलवाई' के रूप में शामिल किया गया।	संकल्प संख्या—1169, दिनांक 25.03.2010
6	कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिविजन के लिए विलोपित कर कुर्मी (महतो) झारखंड स्वाशासी क्षेत्र अंकित किया गया।	संकल्प संख्या—110, दिनांक 24.07.1997
19	खतवे (विलोपित)	संकल्प संख्या—17891, दिनांक 28.12.2012
22	गंगाई (नगेश) के स्थान पर गंगई (गणेश)	संकल्प संख्या—2836, दिनांक 21.08.2007
24	विलोपित (गोड़ / गोंड़) (Gour/Gonr)	संकल्प संख्या—695, दिनांक 28.02.2007
27	विलोपित (गौड़) (Gour)	संकल्प संख्या—695, दिनांक 28.02.2007
30	कमकर	संकल्प संख्या—8, दिनांक 08.01.2004
33	तांती (ततवा) (विलोपित)	संकल्प संख्या—9532, दिनांक 01.07.2015
43	नइया (विलोपित)	संकल्प संख्या—6135, दिनांक 22.04.2015
64	(सुरहिया) (विलोपित)	संकल्प संख्या—653, दिनांक 22.02.2007
93	फकीर, दिवान, मदार (मुस्लिम)	संकल्प संख्या—97, दिनांक 03.03.2003
94	जुलाहा / अंसारी	संकल्प संख्या—432, दिनांक 16.09.2002
95	अमात	बिहार अधिनियम—6 / 1996

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम/संकल्प संख्या
96	चुड़ीहार (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम–6/1996
97	प्रजापति (कुम्हार)	बिहार अधिनियम–6/1996
98	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	बिहार अधिनियम–6/1996
99	सोयर	बिहार अधिनियम–6/1996
100	ठकुराई (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–178, दिनांक 18.12.1995
101	नागर	संकल्प संख्या–135, दिनांक 04.09.1996
102	शेरशाहबादी	संकल्प संख्या–135, दिनांक 04.09.1996
103	बक्खो (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–183, दिनांक 27.11.1996
104	अदरखी	संकल्प संख्या–183, दिनांक 27.11.1996
105	छीपी	संकल्प संख्या–183, दिनांक 27.11.1996
106	तिली	संकल्प संख्या–109, दिनांक 24.07.1997
107	इदरीशी या दर्जी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–34, दिनांक 17.03.1998
108	सैकलगर (सिकलगर) मुस्लिम	संकल्प संख्या–165, दिनांक 20.12.1997
109	रंगरेज (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–211, दिनांक 10.04.2001
110	सिन्दुरिया बनिया	संकल्प संख्या–129, दिनांक 02.04.2002
110	कैथल वैश्य/कथबनिया	संकल्प संख्या–5617, दिनांक 05.04.2013
111	मुकेरी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–673, दिनांक 23.11.2001
112	ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेड़ी इटपज इब्राहिमी (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–499, दिनांक 16.10.2003
113	बढ़ई	संकल्प संख्या–2844, दिनांक 12.06.2009
114	पटवा	संकल्प संख्या–2845, दिनांक 12.06.2009
115	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प संख्या–1170, दिनांक 25.03.2010
116	देवहार	संकल्प संख्या–2413, दिनांक 21.06.2010
117	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या–3799, दिनांक 15.12.2011
118	हलुवाई	संकल्प संख्या–7920, दिनांक 20.05.2013
119	पैरघा/परिहार	संकल्प संख्या–19314, दिनांक 20.12.2013
120	जागा	संकल्प संख्या–19316, दिनांक 20.12.2013
121	लहेड़ी	संकल्प संख्या–19313, दिनांक 20.12.2013
122	राजवंशी (रिसिया/देशिया या पोलिया)	संकल्प संख्या–2655, दिनांक 24.02.2014
123	कुल्हैया	संकल्प संख्या–2654, दिनांक 24.02.2014
124	अवध बनिया	संकल्प संख्या–15308, दिनांक 10.11.2014
125	बरई, तमोली (चौरसिया)	संकल्प संख्या–6136, दिनांक 22.04.2015
126	तेली	संकल्प संख्या–6137, दिनांक 22.04.2015
127	दांगी	संकल्प संख्या–9533, दिनांक 01.07.2015

नोटः– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3/1992) के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–3, 12, 14, 20, 37, 54, 59, 74, 77 पर अंकित जातियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

(18

पिछड़े वर्गो की सूची
(अनुसूची–2)

1	(विलोपित)	1	(Deleted)
2	कागजी	2	Kagji
3	(विलोपित)	3	(Deleted)
4	कुशवाहा (कोईरी)	4	Kushwaha (Koiri)
5	कोस्ता	5	Kosta
6	गद्दी	6	Gaddi
7	घटवार	7	Ghatwar
8	(विलोपित)	8	(Deleted)
9	चनउ	9	Chanau
10	जदुपतिया	10	Jadupatia
11	जोगी (जुगी)	11	Jogi (Jugi)
12	(विलोपित)	12	(Deleted)
13	(विलोपित)	13	(Deleted)
14	(विलोपित)	14	(Deleted)
15	नालबंद (मुस्लिम)	15	Nalband (Muslim)
16	(विलोपित)	16	(Deleted)
17	परथा	17	Partha
18	(विलोपित)	18	(Deleted)
19	(विलोपित)	19	(Deleted)
20	बनिया–(सूढ़ी, मोदक/मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, (विलोपित), बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार(पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु), (विलोपित)	20	Bania (Sundi, Modak/Maira, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar (Kalal/Eraki)(Biahut Kalwar), Kamalapuri Vaishya, Mahuri Vaishya, (Deleted), Bangi Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Vaishya Poddar, Kasaudhan, Gandhbanik, Batham Vaishya, Goldar (For East/West Champaran), (Deleted)
21	(विलोपित)	21	(Deleted)
22	यादव–(ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला)	22	Yadav- (Gwala, Ahir, Gora, Ghasi, Mehar, Sadgop, Lakshmi Narain Gola)
23	(विलोपित)	23	(Deleted)
24	(विलोपित)	24	(Deleted)
25	रौतिया	25	Rautia
26	(विलोपित)	26	(Deleted)
27	(विलोपित)	27	(Deleted)
28	शिवहरी	28	Shivhari
29	सोनार	29	Sonar
30	सूत्रधार	30	Sutradhar
31	सुकियार	31	Sukiar
32	(विलोपित)	32	(Deleted)
33	ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन)	33	Isai Dharmawalambi (Harijan)
34	ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति)	34	Ishai Dharmawalambi (Anya Pichari Jati)
35	कुर्मी	35	kurmi
36	भाट/भट/ब्रह्मभट्ट/राजभट (हिन्दू)	36	Bhaat/Bhat/Brahmbhat/Rajbhat (Hindu)
37	(विलोपित)	37	(Deleted)
38	(विलोपित)	38	(Deleted)
39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	39	Jat (Hindu) (for Saharsa, Supaul, Madhepura and Araria districts)

40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	40	Jat (Muslim) (For Madhubani, Darbhanga, Sitamarhi, Khagaria and Araria disticts)
41	मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखण्ड के लिए)	41	Madaria (Muslim) (only for sanhaula Block of Bhagalpur District and Dhoraia Block of Banka District)
42	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	42	Donwar (only for Madhubani and Supaul Districts)
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	43	Surjapuri Muslim (Excluding Shekh, Syed, Mallik, Mogal, Pathan)(only for Purnea, Katihar, Kishanganj and Araria districts)
44	मलिक (मुस्लिम)	44	Mallik (Muslim)
45	सैंथवार	45	Sainthwar
46	गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ / अथीत, गोसाई, जति / यति	46	Goswami, Sanyasi, Atith / Athit, Gosai, Jati / Yati
47	किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)		Kinnar/Kothi/Hijra/Transgender/ Third Gender

नोटः— उन जातियों तथा वर्गो को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनोंः— हिन्दु तथा मुसलमान तेली।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम—3 / 1992) के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) में जिन जातियों का समावेशन / विलोपन किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित हैः—

सूची क्रमांक	जाति का नाम	अधिनियम / संकल्प संख्या
03	कमार (लोहार और कर्मकार)	संकल्प संख्या—1170, दिनांक 25.03.2010
12	तमोली (विलोपित)	संकल्प संख्या—6136 दिनांक 22.04.2015
13	तेली (विलोपित)	संकल्प संख्या—6137 दिनांक 22.04.2015
14	देवहार	संकल्प संख्या—2413, दिनांक 21.06.2010
18	बढ़ई	संकल्प संख्या—2844, दिनांक 12.06.2009
19	बड़ई (विलोपित)	संकल्प संख्या—6136 दिनांक 22.04.2015
20	करौधन	बिहार अधिनियम—6 / 1996
20	कलाल / एराकी	संकल्प संख्या—164, दिनांक 17.10.1996
20	गंधबनिक	संकल्प संख्या—110, दिनांक 24.07.1997
20	वियाहुत कलवार	संकल्प संख्या—79, दिनांक 28.05.1998
20	मोदक / मायरा	संकल्प संख्या—615, दिनांक 15.10.2001
20	बाथम वैश्य	संकल्प संख्या—102, दिनांक 21.03.2001
20	गोलदार (पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु)	संकल्प संख्या—01, दिनांक 02.01.2002
20	कैथल वैश्य / कथ बनिया	संकल्प संख्या—248, दिनांक 24.06.2002
20	सामरी वैश्य	संकल्प संख्या—283, दिनांक 05.06.2003
20	सामरी वैश्य (विलोपित)	संकल्प संख्या—3799, दिनांक 15.12.2011
20	पोद्दार के स्थान पर वैश्य पोद्दार	संकल्प संख्या—2078, दिनांक 15.06.2007
20	पटवा	संकल्प संख्या—2845, दिनांक 12.06.2009
20	हलवाई (विलोपित)	संकल्प संख्या—1169, दिनांक 25.03.2010
20	अवध बनिया (विलोपित)	संकल्प संख्या—15308 दिनांक 10.11.2014
22	सदगोप	संकल्प संख्या—3, दिनांक 09.01.2001
22	लक्ष्मी नारायण गोला	संकल्प संख्या—328, दिनांक 22.12.2000
35	कुर्मी (महतो) से (महतो) विलोपित	संकल्प संख्या—1292, दिनांक 13.04.2007
36	भाट / भट / ब्रह्मभट / राजभट (हिन्दू)	संकल्प संख्या—40, दिनांक 03.01.2007
37	दांगी	बिहार अधिनियम—6 / 1996
37	दांगी (विलोपित)	संकल्प संख्या—9533 दिनांक 01.07.2015
38	कुल्हैया	संकल्प संख्या—135, दिनांक 04.09.1996

38	कुल्हैया (विलोपित)	संकल्प संख्या–2654, दिनांक 24.02.2014
39	जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या–277, दिनांक 06.11.2000
40	जट (मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या–277, दिनांक 06.11.2000
41	मडरिया (मुस्लिम) (भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखण्ड के लिए)	संकल्प संख्या–177, दिनांक 13.05.2002
42	दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए)	संकल्प संख्या–530, दिनांक 26.11.2002
43	सुरजापुरी मुस्लिम (शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) (केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए)	संकल्प संख्या–500, दिनांक 16.10.2003
44	मलिक (मुस्लिम)	संकल्प संख्या–3176, दिनांक 29.05.2008
45	सैंथवार	संकल्प संख्या–1144 दिनांक 20.04.2011
46	गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/अथीत, गोसाई, जति/यति	संकल्प संख्या–12535, दिनांक 29.07.2013
47	किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)	संकल्प संख्या–12722, दिनांक 12.09.2014

नोटः– पिछड़े वर्गों के अनुसूची–2 के क्रमांक–1, 3, 8, 14, 16, 18, 20 (सिन्दुरिया बनिया), 20 (हलवाई), 20 (पटवा), 21, 24, 26, 32, 20 (कैथल वैश्य/कथबनिया), 27, 23, 38, 12, 19, 13, 20 (अवध बनिया) एवं 37 में अंकित जातियों को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–क्रमशः 95, 115, 96, 116, 97, 113, 110, 02, 114, 111, 109, 98, 107, 110, 121, 122, 123, 125, 125, 126, 124 एवं 127 पर समावेशित किया गया।

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1041-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

(16)

पत्र संख्या-11/आ. 2-आ. नि.-08/2006का० 225 /

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी जिला पदाधिकारी

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।

सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना ।

निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय

उच्च न्यायालय, पटना ।

पटना-15, दिनांक 16 जनवरी, 2007.

विषय:- उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समेकित सूची का संप्रेषण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत का राजपत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 (सं0-108/1976) दिनांक 18.9.1976 द्वारा बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित की गई । भारत का राजपत्र, बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 (सं0-30/2000) दिनांक 25.8.2000 द्वारा उत्तरवर्ती बिहार हेतु उक्त सूची को संशोधित किया गया । पुन: भारत का राजपत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम-2002 (सं0-10/2003), दिनांक 7.1.2003 द्वारा उक्त सूची को संशोधित किया गया । उपर्युक्त तीनों अधिनियमों के आलोक में उत्तरवर्ती बिहार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समेकित सूची प्रचारित की जा रही है ।

2. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचारित कर दिया जाय ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो । परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम की प्रविष्टि को संदर्भ किया जाय ।

विश्वासभाजन,
(ह०) 15/1/07
सरकार के उप सचिव ।

अनु0-यथोपरि ।

List of Scheduled Tribes for Bihar

Serial No.	Name of Caste	Notified vide the scheduled castes and scheduled tribes orders(Amendment)Act
(1)	Asur,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Agaria	Act-2002 (No. 10/2003)
(2)	Baiga	Act-1976 (No. 108/1976)
(3)	Banjara	Act-1976 (No. 108/1976)
(4)	Bathudi	Act-1976 (No. 108/1976)
(5)	Bedia	Act-1976 (No. 108/1976)
(6)	Deleted [Bhumij(In North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas districts)]	The Bihar Re-organisation Act-2000 (No. 30/2000)
(7)	Binjhia	
(8)	Birhor	Act-1976 (No. 108/1976)
(9)	Birjia	Act-1976 (No. 108/1976)
(10)	Chero	Act-1976 (No. 108/1976)
(11)	Chik Baraik	Act-1976 (No. 108/1976)
(12)	Gond	Act-1976 (No. 108/1976)
(13)	Gorait	Act-1976 (No. 108/1976)
(14)	Ho	Act-1976 (No. 108/1976)
(15)	Karmali	Act-1976 (No. 108/1976)
(16)	Kharia,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Dhelki Kharia,	Act-2002 (No. 10/2003)
	Dudh Kharia,	Act-2002 (No. 10/2003)
	Hill Kharia	Act-2002 (No. 10/2003)
(17)	Kharwar	Act-1976 (No. 108/1976)
(18)	Khond	Act-1976 (No. 108/1976)
(19)	Kisan,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Nagesia	Act-2002 (No. 10/2003)
(20)	Kora,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Mudi-kora	Act-2002 (No. 10/2003)
(21)	Korwa	Act-1976 (No. 108/1976)
(22)	Lohara, Lohra	Act-1976 (No. 108/1976)
(23)	Mahli	Act-1976 (No. 108/1976)
(24)	Mal Paharia,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Kumarbhag Paharia	Act-2002 (No. 10/2003)
(25)	Munda,	Act-1976 (No. 108/1976)

	Patar	Act-2002 (No. 10/2003)
(26)	Oraon,	Act-1976 (No. 108/1976)
	Dhangar (Oraon)	Act-2002 (No. 10/2003)
(27)	Parhaiya	Act-1976 (No. 108/1976)
(28)	Santal	Act-1976 (No. 108/1976)
(29)	Sauria Paharia	Act-1976 (No. 108/1976)
(30)	Savar	Act-1976 (No. 108/1976)
(31)	Kawar	Act-2002 (No. 10/2003)
(32)	Kol	Act-2002 (No. 10/2003)
(33)	Tharu	Act-2002 (No. 10/2003)

2/5/4 ...

148

List of Scheduled Castes for Bihar.

Serial No.	Name of Caste	Notified vide the scheduled castes and scheduled tribes orders(Amendment)Act
(1)	Bantar	Act-1976 (No. 108/1976)
(2)	Bauri	Act-1976 (No. 108/1976)
(3)	Bhogta	Act-1976 (No. 108/1976)
(4)	Bhuiya	Act-1976 (No. 108/1976)
(5)	Deleted [Bhumij(excluding North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas district)]	The Bihar Re-organisation Act-2000 (No. 30/2000)
(6)	Chamar, Mochi	Act-1976 (No. 108/1976)
(7)	Chaupal	Act-1976 (No. 108/1976)
(8)	Dabgar	Act-1976 (No. 108/1976)
(9)	Dhobi	Act-1976 (No. 108/1976)
(10)	Dom, Dhangad	Act-1976 (No. 108/1976)
(11)	Dusadh, Dhari, Dharhi	Act-1976 (No. 108/1976)
(12)	Ghasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(13)	Halalkhor	Act-1976 (No. 108/1976)
(14)	Hari, Mehtar, Bhangi	Act-1976 (No. 108/1976)
(15)	Kanjar	Act-1976 (No. 108/1976)
(16)	Kurariar	Act-1976 (No. 108/1976)
(17)	Lalbegi	Act-1976 (No. 108/1976)
(18)	Musahar	Act-1976 (No. 108/1976)
(19)	Nat	Act-1976,(No. 108/1976)
(20)	Pan, Sawasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(21)	Pasi	Act-1976 (No. 108/1976)
(22)	Rajwar	Act-1976 (No. 108/1976)
(23)	Turi	Act-1976 (No. 108/1976)

(१५)

पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–01/2021 सा0प्र0..................

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक.........................

विषय :– **राज्य सरकार में जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने के निमित्त सक्षम प्राधिकार में संशोधन के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रयोजनों के निमित्त जाति/आय/आवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 एवं अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 निर्गत है। इन पत्रों के द्वारा उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है।

इस व्यवस्था को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को सुगमता से उपर्युक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त हो सके।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अब अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण–पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

तदनुसार परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 एवं अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 को इस हद तक आंशिक रूप से संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(जय शंकर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-D/ABHINEET SHYAM – HINDI LETEER

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–01/2021 सा0प्र0 1273 पटना–15, दिनांक– 29.01.2021

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 02.09.22

विषयः– **राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परन्तु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, का मामला विचाराधीन है।

2. उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–70 दिनांक–11.06.1996 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि –

राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की सम्पूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं।

3. इसी प्रकार बिहार अधिनियम–15, 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि–

राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम–3, 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER-3

Scanned with OKEN Scanner

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–3025 दिनांक–11.09.2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिन्दुओं को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

(i) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा।

(ii) चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी (विवाहित महिला सहित) के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जायेगा।

(iii) बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट–14 (नियम–169) के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र, संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा।

5. अतः ऐसी विवाहित महिलाएं, जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

02/09/2022

(रजनीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760 /पटना–15, दिनांक 02.09.22

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02/09/2022

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760 /पटना–15, दिनांक 02.09.22

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/2022

सरकार के उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत आम निर्वाचन, 2021

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं.नि. 30-224/2021 – 3417

प्रेषक,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

औरंगाबाद।

पटना, दिनांक – 1.9.21

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2021 – बिहार राज्य से बाहर की महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 1694 दिनांक 28.08.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जाति प्रमाण-पत्र संबंधी निदेश निर्गत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना सक्षम विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 61 दिनांक 09.03.2011 (संलग्न) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र ही बिहार पंचायत निर्वाचन के लिए मान्य होगा।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 39 (1)(च)(iii) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा यदि नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र (मूल में) संलग्न नहीं किया हो।

अतः उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं उक्त निदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दी जाये।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/- 1/IX/21

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि.30-224/2015 – 3417 पटना, दिनांक – 1.9.21

प्रतिलिपि, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी (पंचायत) बिहार राज्य (औरंगाबाद को छोड़कर) को उपरोक्त निदेश के अनुपालन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 1/IX/21

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/184

ज्ञापांक - पं.नि.30-224/2015 – 3419 पटना, दिनांक – 1.9.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-224/2015 –3419 पटना, दिनांक – 1.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजेर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/185

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1932 (श0)

(सं0 पटना 61) पटना, बुधवार, 9 मार्च 2011

पत्र संख्या–11/आ॰2–आ॰नी॰–05/2010सा॰.673
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना ।

पटना–15, दिनांक 08 मार्च, 2011

विषय :– जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति/आय/आवास/ क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग–दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय–समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है । साथ ही इन प्रमाणपत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है ।

वर्त्तमान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र एवं अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं आवास प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं । इसमें प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण आवेदकों को काफी परेशानी होती है । इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, जाली

प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने तथा पारदर्शिता लाने हेतु राज्य सरकार ने विचारोपरांत निर्णय लिया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे ।

प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदन हेतु आवेदनों की प्राप्ति एवं उसके निष्पादन संबंधी मार्ग–दर्शन दिये जा रहे हैं, जो निम्नांकित हैं:–

(1) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे । राजस्व अभिलेख की जाँच/ स्थलीय जाँच अंचलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जायेगी ।

(2) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरुपेण भरे गये आवेदन, संगत स्वयं शपथपत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जाने वाला शपथपत्र सहित संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जायेगा ।

(3) राजस्व कर्मचारी/पंचायत सेवक/जनसेवक के हस्ताक्षर का नमूना संबंधित अंचल कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा ।

(4) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का निष्पादन अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्रस्तुतीकरण के इक्कीस दिनों के अन्दर कर दिया जाय । साथ ही साथ वांछित प्रमाणपत्र देय नहीं होने की स्थिति में कारण को स्पष्ट करते हुए इस आशय की भी सूचना आवेदक/आवेदिका को दे दी जायेगी ।

(5) आवेदन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत कर्मी वांछित प्रमाणपत्र (दो प्रतियों में) निर्गत कराकर एक प्रति संबंधित आवेदक/आवेदिका को प्राप्त करा देंगे ।

(6) राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए अगर अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामले में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र को उच्चाधिकारी द्वारा मात्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(7) किसी संस्थान विशेष द्वारा यदि उनके द्वारा निर्मित विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्रों की माँग की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा वांछित प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे ।

(8) ओ॰बी॰सी॰ (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र बार–बार निर्गत नहीं किये जायेंगे । पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के साथ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक संख्या–36033/4/97–स्था.(आरक्षण) दिनांक 25.07.03, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11/वि.5–09/1998–1074 दिनांक 08.07.2005 द्वारा परिचारित किया गया है, के आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी शपथपत्र फॉर्म–XVIII में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा ।

(9) जाति प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे :–
आवेदक/आवेदिका के पिता/पूर्वज का–
- (9.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि) ।
- (9.2) कंडिका–(9.1) में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाणपत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है ।

(10) आवास प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:–
आवेदक/आवेदिका के माता–पिता/पूर्वज का–
- (10.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि) ।
- (10.2) राशन कार्ड ।
- (10.3) निर्वाचन पहचान पत्र ।
- (10.4) विद्युत विपत्र ।
- (10.5) दूरभाष विपत्र ।

(11) आय प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:–
आवेदक/आवेदिका के माता–पिता का–
- (10.1) वेतन/पेंशन पर्ची ।
- (10.2) आयकर रिटर्न ।
- (10.3) अन्यान्य अभिलेख ।

(12) प्रमाणपत्रों की वैधता :–
- i. जाति प्रमाणपत्र :– सामान्यतया जाति प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी ।
- ii. आय प्रमाणपत्र :– आय प्रमाणपत्र हेतु आय का आकलन गत वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा ।

iii. आवास प्रमाणपत्र :— (क) सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाणपत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक होगी ।

(ख) स्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी ।

(13) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11/वि.5–न्याय–09/1996–1236 दिनांक 03.03.2008 द्वारा प्रावधान किया जा चुका है कि "चूँकि किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, अतएव एक बार निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मान्यता सभी विभाग / कार्यालय / शिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाना चाहिए तथा जाति प्रमाणपत्र की सम्पुष्टि के उपरांत इसे आवेदक को वापस कर दिया जाना चाहिए" । इसी संदर्भ में निदेश है कि जाति प्रमाणपत्र के साथ–साथ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ भी आवश्यक सम्पुष्टि के उपरांत आवेदक/आवेदिका को वापस कर दिया जाय ।

(14) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–70 दिनांक 11.06.96 एवं बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है ।

(15) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–3025 दिनांक 11.09.2007 के आलोक में स्पष्ट करना है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होगा ।

(16) सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना तथा विहित प्रपत्र अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारियों को यथासमय उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि नयी व्यवस्था के तहत आवेदक/आवेदिका को प्रमाणपत्र सुलभ होने लगे ।

(17) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश निरस्त किये जाते हैं । विभिन्न प्रमाणपत्रों/आवेदनपत्रों/स्वयं शपथपत्रों अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्रों हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

(18) नयी व्यवस्था पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाणपत्र मान्य होंगे ।

अनु॰—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

आवश्यक
पंचायत आम निर्वाचन, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - पं.नि. 30-339/2021 - 5697

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 22.10.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 : तृतीय लिंग (Third Gender) के मतदाता के निर्वाचन लड़ने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय जिलों द्वारा तृतीय लिंग (Third Gender) के मतदाता के निर्वाचन लड़ने के संबंध में पृच्छा की जा रही है।

उक्त सन्दर्भ में आयोग का निदेश है कि –

``ऐसा अभ्यर्थी जो स्पष्ट रूप से महिला या पुरूष की श्रेणी में नहीं माना जाता है, जिन्हें थर्ड जेन्डर (तृतीय लिंग) के रूप में परिभाषित किया गया है, ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के निर्वाचन में किसी भी अनारक्षित (अन्य) निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है।"

सुलभ संकेत हेतु किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर को थर्ड जेन्डर घोषित करने तथा आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का संकल्प संख्या 12722 दिनांक 12.09.2014 पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय तथा सभी संबंधित को उक्त निदेश से अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ह०) 22/x/21
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-339/2021 - 5697 पटना, दिनांक - 22.10.21

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/x/21
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-339/2021 - 5697 पटना, दिनांक - 22.10.21

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/x/21
सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom
D:\pm5\P_E_Sanchalan_21/256

22.10.21

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः– किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित करने एवं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं0–400/2012 नेशलन लिगल सर्विस ऑथोरिटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा रिट पिटिशन (सिविल) नं0–604/2013 में दिनांक–15.04.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप मान्यता देना है तथा उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना है।

(2) राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (ग) के अनुसार समय–समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–10272 दिनांक–25.07.2014 द्वारा ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को बिहार राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में शामिल करने के विषय पर आयोग का विधिवत् परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

(4) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है :-

(i) प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अपने स्तर से जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर समुदाय का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे।

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों/निगमों/बोर्डो सभी सरकारी पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी किया जाय कि किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर समुदाय को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सारी सुविधाएँ प्रदान की जाय, जो पिछड़े वर्ग (अनुसूची–2) के नागरिकों को देय है।

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेचित न्यायादेश एवं पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की उपर्युक्त सलाह के आलोक में भली भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित किया जाय।

(ख) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया जाय।

उक्त समावेशन के फलस्वरूप किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्धसरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी देय आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम) 12.9.2014

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0नी0 1-02/2014 सा0प्र0 12722 पटना-15, दिनांक- 12.9.14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

12.9.2014

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0 I–02/2014 सा0प्र0 12722 पटना–15, दिनांक– 12.9.14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

12.9.2014

सरकार के अवर सचिव।